



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272266
CG-DL-E-05052026-272266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2125]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2125]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2212(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में NH 351K के कि.मी. 82.093 से कि.मी.102.284 (बगसरा टू उना) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में NH 351K के कि.मी. 82.093 से कि.मी.102.284 (बगसरा टू उना) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: गिर सोमनाथ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उन					
गांव का नाम: भाचा					
1	187/P3	निजी	कृषि	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
2	4/1/P 1	निजी	कृषि	0.1174 (हेक्टेयर)	0.1174
3	4/3/P3	निजी	कृषि	0.0441 (हेक्टेयर)	0.0441
गांव का नाम: वावरडा					
4	233/1/P1	निजी	कृषि	0.0239 (हेक्टेयर)	0.0239
गांव का नाम: कंसारी					
5	113	सरकारी	गैर कृषि	0.0089 (हेक्टेयर)	0.0089
6	117	निजी	गैर कृषि	0.0165 (हेक्टेयर)	0.0165
7	118/2	सरकारी	गैर कृषि	0.0099 (हेक्टेयर)	0.0099
8	132/1	निजी	कृषि	0.0808 (हेक्टेयर)	0.0808
9	137/P2	निजी	गैर कृषि	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
10	61/P1	निजी	कृषि	0.1143 (हेक्टेयर)	0.1143
गांव का नाम: उना					
11	171/P5	निजी	कृषि	0.0828 (हेक्टेयर)	0.0828
तालुक का नाम: गिर गढ़डा					
गांव का नाम: धोकडवा					
12	101	निजी	कृषि	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
13	103/2	निजी	कृषि	0.2729 (हेक्टेयर)	0.2729
14	104	निजी	कृषि	0.0818 (हेक्टेयर)	0.0818

15	105/P1	निजी	कृषि	0.1152 (हेक्टेयर)	0.1152
16	20/P2	निजी	कृषि	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
17	247/P2/P1	निजी	कृषि	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
18	26/P1	निजी	गैर कृषि	0.0289 (हेक्टेयर)	0.0289
19	26/P1/P1	निजी	गैर कृषि	0.0633 (हेक्टेयर)	0.0633
20	27	निजी	कृषि	0.0333 (हेक्टेयर)	0.0333
21	6/P1/P2	निजी	कृषि	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
22	8/P1	निजी	कृषि	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
गांव का नाम: महोबतपरा					
23	50/2/P1	निजी	कृषि	0.1719 (हेक्टेयर)	0.1719
24	50/2/P2	निजी	कृषि	0.496 (हेक्टेयर)	0.496
25	52/P1	निजी	कृषि	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
गांव का नाम: बेडीया					
26	174/P1	निजी	कृषि	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
27	64	सरकारी	कृषि	0.1961 (हेक्टेयर)	0.1961
28	65/2/P2	निजी	कृषि	0.0791 (हेक्टेयर)	0.0791
29	65/2/P2/P2	निजी	कृषि	0.1037 (हेक्टेयर)	0.1037
30	65/2/P4	निजी	कृषि	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
31	65/2/P5/P1	निजी	कृषि	0.1309 (हेक्टेयर)	0.1309
32	80/P2/P1	निजी	कृषि	0.0366 (हेक्टेयर)	0.0366
33	80/P2/P2	निजी	कृषि	0.119 (हेक्टेयर)	0.119
Total					2.5305

[फा. सं. GJ/LA/351K/24/2024-25/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2026

S.O. 2212(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 351K in the

stretch of land from Km.82.093 to Km. 102.284 (Bagasara To Una) in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 351K in the stretch of land from Km.82.093 to Km. 102.284 (Bagasara To Una) in the district of GIR SOMNATH in the state of

GUJARAT

State: GUJARAT			District: GIR SOMNATH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Una					
Village: Bhacha					
1	187/P3	Private	Agriculture	0.0072 (Hectare)	0.0072
2	4/1/P 1	Private	Agriculture	0.1174 (Hectare)	0.1174
3	4/3/P3	Private	Agriculture	0.0441 (Hectare)	0.0441
Village: Vavarda					
4	233/1/P1	Private	Agriculture	0.0239 (Hectare)	0.0239
Village: Kansari					
5	113	Government	Non Agriculture	0.0089 (Hectare)	0.0089
6	117	Private	Non Agriculture	0.0165 (Hectare)	0.0165
7	118/2	Government	Non Agriculture	0.0099 (Hectare)	0.0099
8	132/1	Private	Agriculture	0.0808 (Hectare)	0.0808
9	137/P2	Private	Non Agriculture	0.0169 (Hectare)	0.0169
10	61/P1	Private	Agriculture	0.1143 (Hectare)	0.1143
Village: Una					
11	171/P5	Private	Agriculture	0.0828 (Hectare)	0.0828
Taluk: Gir Gadhda					
Village: Dhokadva					
12	101	Private	Agriculture	0.0026 (Hectare)	0.0026
13	103/2	Private	Agriculture	0.2729 (Hectare)	0.2729
14	104	Private	Agriculture	0.0818 (Hectare)	0.0818
15	105/P1	Private	Agriculture	0.1152 (Hectare)	0.1152
16	20/P2	Private	Agriculture	0.0125 (Hectare)	0.0125
17	247/P2/P1	Private	Agriculture	0.0102 (Hectare)	0.0102

18	26/P1	Private	Agriculture	0.0289 (Hectare)	0.0289
19	26/P1/P1	Private	Non Agriculture	0.0633 (Hectare)	0.0633
20	27	Private	Agriculture	0.0333 (Hectare)	0.0333
21	6/P1/P2	Private	Agriculture	0.0036 (Hectare)	0.0036
22	8/P1	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228
Village: Mahobatpara					
23	50/2/P1	Private	Agriculture	0.1719 (Hectare)	0.1719
24	50/2/P2	Private	Agriculture	0.496 (Hectare)	0.496
25	52/P1	Private	Agriculture	0.0047 (Hectare)	0.0047
Village: Bediya					
26	174/P1	Private	Agriculture	0.0091 (Hectare)	0.0091
27	64	Government	Agriculture	0.1961 (Hectare)	0.1961
28	65/2/P2	Private	Agriculture	0.0791 (Hectare)	0.0791
29	65/2/P2/P2	Private	Agriculture	0.1037 (Hectare)	0.1037
30	65/2/P4	Private	Agriculture	0.0136 (Hectare)	0.0136
31	65/2/P5/P1	Private	Agriculture	0.1309 (Hectare)	0.1309
32	80/P2/P1	Private	Agriculture	0.0366 (Hectare)	0.0366
33	80/P2/P2	Private	Agriculture	0.119 (Hectare)	0.119
Total					2.5305

[F. No. GJ/LA/351K/24/2024-25/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director